

उत्तर प्रदेश शासन/वन विभाग द्वारा मानक शर्तें


(वन अनुभाग-3 शासन, उ०प्र० की पत्र सं० 7314/14-3-980/82 दिनांक 31.12.1984)

1. भूमि हस्तांतरण के बाद भी उनके वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं हो और वह पूर्व की भांति संरक्षित/आरक्षित वनप भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा, अन्य प्रयोग हेतु कदापि नहीं।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उनके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया जाय कि मांगी गयी भूमि न्यूनतम भूमि है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. हस्तांतरित विभाग उसके कर्मचारी अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायेंगे और ऐससा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान उक्त विभाग को करना होगा।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देख-रेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि को भी देख-भाल करेगा।
7. हस्तांतरित वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निरीक्षण हेतु आने पर हस्तांतरित विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तांतरण यथ सम्भव प्रस्तावित न किया जाए। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा। परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं वन जन्तुओं के स्वच्छन्द विवरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तांतरित की जाएगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगत द्वारा वन विभाग की नर्सरियों/पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों को निशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तांतरित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग, संस्था या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तांतरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रकार का भुगतान किये वन विभाग को प्रत्यावर्तित हो जायेंगे।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर "एलाइनमेन्ट" तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श "भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण" द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा मुख्य अभियन्ता पर्वतीय क्षेत्र, पौड़ी को सम्बोधित पत्र संख्या- 608/1सी० दिनांक 10.02.82 में निहित आदेशों का पालन भी "भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण" द्वारा किया जायेगा कि अश्व मार्ग बनाना अथवा वन मार्गों का मामूलीफर बदलकर पक्का करना होगा, बशर्ते ऐसा करना याचक विभाग के खर्चे से पर्याप्त न होगा और नई सड़क का निर्माण भी आवश्यक है।
12. वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वार प्रदत्त मूल्य सम्बन्धी प्रमाण पत्र के आधार आंकलित होगा, जो याचक विभाग को मान्य होगा।

13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश वन निगम अथवा अन्य कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा सम्भव हो सके और उनका पातन आवश्यक हो, तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों को बाजार भाव मूल्य देय होगा।
14. हस्तांतरित भूमि में पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तांतरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा एक पेड़ के स्थान पर दस पेड़ों का रोपण तथा तीन वर्ष तक परियोजना व्यय जो वन विभाग द्वारा निर्धारित किये जायें, का भुगतान विभाग को करना होगा। 1000 मी० एवं 300 मी० से अधिक टाल पर खड़े वृक्षों का पातन निशिद्ध है। इसी प्रकार बाज के पेड़ों का पातन भी वर्जित है ऐसे वृक्षों का पातन निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही हो सकेगा।
15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाईन के जाने में यथा सम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा या खम्भों को ऊंचा करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों को संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी, जिस पर सम्बन्धित वन संरक्षक का अनुमोदन आवश्यक है।
16. यदि नदी आदि निर्माण में भू-रक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पटरियों को पक्का करना आवश्यक समझा जाता है, तो ऐसा याचक अपने व्यय से स्वयं करायेगा।
17. उपरिलिखित मानक वर्षों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगायी जाती हैं, तो वे याचक विभाग को मान्य होगी।
18. वन भूमि का वास्तविक हस्तांतरण तभी किया जाये जब उक्त शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाये अथवा उनका समुचित स्तर आश्वासन प्राप्त हो जाये।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त उल्लिखित शर्तें मान्य है तथा उनका अनुपालन विभाग द्वारा किया जायेगा।

अखिलेश पाण्डेय
प्रभागीय वनाधिकारी
गोरखपुर


 एम०के० अग्रवाल
 कार्य अधीक्षक
 अ०नि०नि०इ० (रा०मा०) लो०नि०वि०, गोरखपुर
 अ० नि० वि० (रा० मा०)
 लो० नि० वि०, गोरखपुर